मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 23/05/2020

क्रमांक 22 (ए)396/2020/एमपीएस/31/503 :– प्रदेश में इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन में विशेष सावधानियां रखते हुए एवं अन्य सभी जिलों में विभिन्न निर्माण कार्यो में श्रमिकों के नियोजन तथा कार्य की गति बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी कार्यस्थलों पर इन्जीनियर एवं अधिकारियों तथा वाहन की प्रतिदिन एवं निरन्तर आवश्यकता होती है, जिसमें एक जिले से दूसरे जिले के अन्दर भी आवश्यकता हो रही है।

2. भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 01.05.2020 द्वारा जारी आदेश की कंडिका –7ii(c) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है।

3. राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय पर विचारोपरांत, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग एवं परियोजना प्रबंधन इकाई के अंतर्गत आने वाले समस्त परियोजना के प्रभारी अधिकारी (जो सहायक यंत्री से कम न हो) एवं परियोजना में कार्यरत एजेंसी एवं उनके प्रतिनिधियों/कर्मचारियों के साथ–साथ निर्माण कार्य में लगे मजदूर/व्यक्तियों को अपने प्रभार के निर्माण स्थल पर नियोजन एवं उपयोग हेतु समस्त व्यक्तिगत एवं वाहन के पास जारी करने हेतु अधिकृत करता है।

4. **Covid-19** के संबंध में समय–समय पर जारी शासन के विभिन्न आदेश तथा जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

23/05/2020

(डी.पी.अहूजा)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक 22(ए)396/2020/एमपीएस/31/504 भोपाल, दिनांक 23/05/2020
प्रतिलिपि :–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य अभियंता/परियोजना संचालक पी.एम.यू./समस्त अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग(म.प्र.)।
9. वैब मेनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

Desktop/Dinesh/Dinesh2020/Letter 2020